

## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः—एफ 3 /लेखा /17-18/ 847-67

दिनांक : 26/04/17

अल्पकालीन ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या : 05/17-18

नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से न्यास में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों एवं किसी भी राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्त शासी विभागों के अन्तर्गत "ए" तथा "ए" वलास (विद्युत कार्यों के लिए ई-1 श्रेणी) संवेदकों से मोहरबंद (ऑफलाईन) पद्धति से कुल 02 कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://urban.rajasthan.gov.in> एवं नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट <https://www.uitkota.org> पर देखा जा सकता है।

अधिकारी अभियंता,  
नगर विकास न्यास, कोटा

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

Part	निविदा की क्र0सं0	ऑफलाईन निविदा विक्रय तिथि	ऑफलाईन निविदा प्राप्ति की तिथि	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि
A	1 से 2	01-05-17 प्रातः 9:30 से 10-05-17 दोपहर 2.00 बजे तक	11-05-17 को दोपहर 2.00 बजे	11-05-17 को दोपहर 3.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड	UBN
1.	न्यास भवन में डेजर्ट कूलर किराए पर लगाने का कार्य	4.76	500.00	6 माह	विद्युत	UIK1718WSOB00007
2.	न्यास भवन में ए.सी. के रख रखाव कार्य	1.86	500.00	6 माह	विद्युत	UIK1718WSOB00008

नोट:-

1. निविदा से सम्बंधित समरत विवरण <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://urban.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
2. तभी संवेदकों को धरोहर राशि डी0डी0 अथवा नकद राशि चालान के माध्यम से ओ0बी0सी0 बैंक, न्यास परिसर, कोटा में जमा करानी होगी। चालान द्वारा राशि जमा कराने के स्थिति में संवेदकों को चालान की तृतीय प्रति क्यनिष्ठ लेखाकार को देने पर ही टेप्डर कोंपी दी जायेगी। एक चालान एक निविदा (एक कार्य) के लिए ही मात्र होगा।
3. उक्त निविदा न्यास की वेबसाईट [www.uitkota.org](https://www.uitkota.org) पर भी देखी जा सकती है।
4. प्रथम तीन न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि को रोकते हुए शेष सभी संवेदकों को धरोहर राशि सात दिवस के अंदर लौटाई जायेगी तथा द्वितीय व तृतीय न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि कार्यदेश जारी होने के 10 दिवस पश्चात या निविदा कैब्टा तिथि पश्चात (दोनों में से जो भी पहले हो) लौटाई जायेगी।
5. राजस्थान भवन एवं अन्य समियोग कर्मकार नियम-2009 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.4.09 के अनुसरण में न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रानिंग/आतिम बिलों के भुगतान पर 1% श्रम उपकर (L Cess) भी देय होगा।
6. निविदा में प्रस्तुत दर प्रवृत्तित बी.एस.आर., जिस पर निविदा आवारित है, से जितनी प्रतिशत कम आयेगी उतनी राशि की बैंक गोरण्टी/डी0डी0 विभाग में कार्यदेश जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी। जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लौटाई जायेगी।
7. निविदा में भाग लेने वाले सभी संवेदकों/फर्मों को सूचित किया जाता है, कि निविदा में समिलित होने से पूर्व, यह सुनिश्चित करले की तैयारी के लिए निविदा के अनुरूप उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत है या नहीं उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत नहीं पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने/निविदा निरस्त करते हुए जमा राशि जब करने एवं नियमानुसार शास्त्रित आरोपित करने का प्रावधान नगर विकास न्यास, कोटा में निहित रहेगा। \*
8. उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।

अधिकारी अभियंता,  
नगर विकास न्यास, कोटा